

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-17/विविध-01-200/2024

पटना, दिनांक :- / /2026

विभागीय अधिसूचना संख्या-1092(17), दिनांक-04.10.2025 की कंडिका-02 (vi) के प्रावधानानुसार बिहार राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित/भारत सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान यथा-AIIMS, IGIMS, PGI एवं अन्य विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों से सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर अवधि के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि, टेन्योर अवधि पूर्व होने के उपरान्त संबंधित चिकित्सक बिहार राज्य के अतर्गत बॉण्ड आधारित सेवा पूरी करेंगे।

2. पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र/चिकित्सक, जिस चिकित्सा महाविद्यालय से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण किये हैं, उस चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत Bonafide Certificate एवं उनके सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों आदि की अभिप्रमाणित छायाप्रति संबंधित संस्थान के सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद हेतु काउंसलिंग में मान्य होने का उल्लेख अनापत्ति प्रमाण-पत्र में किया जाता है।

3. उक्त के आलोक में सबधित छात्र/चिकित्सक द्वारा सूचित किया गया है कि AIIMS एवं अन्य संस्थानों द्वारा काउंसलिंग में शैक्षणिक मूल प्रमाण-पत्रों की मांग की जा रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र, संबंधित चिकित्सक प्रस्तुत करेंगे कि सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप पूरी करने के उपरान्त बंध-पत्र (Bond) के अनुसार राज्य में 02 (दो) वर्षों की अनिवार्य सेवा देंगे, के आधार पर, बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित/भारत सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान यथा-AIIMS, IGIMS, PGI एवं अन्य विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों से सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप करने वाले ऐसे छात्रों को सभी मूल प्रमाण-पत्र वापस करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5. संबंधित चिकित्सा संस्थान के प्राचार्य/अधीक्षक उपर्युक्त आदेश में निहित शर्तों के आलोक में सबधित छात्र/चिकित्सक से सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप करने हेतु सबधी संस्थान का साक्ष्य एवं शपथ-पत्र प्राप्त कर सभी मूल प्रमाण-पत्र वापस करना सुनिश्चित करेंगे।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रिणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पटना, दिनांक :- 22/01/2026


सं० सं०-17/विविध-01-200/2024 - 105(17)

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी संबंधित सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
H